

6

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976

नियम 9

(2) जहां पेंशनर किसी गम्भीर अपराध के कारण किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है तो इस प्रकार की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उपनियम (1) खण्ड (बी) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन नहीं आने वाले मामले में, उपनियम (1) में सन्दर्भित प्राधिकारी यदि यह समझता है कि पेंशनर किसी गम्भीर दुराचरण का प्रथम दृष्ट या दोषी है, तो उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित करने के पूर्व वह—

(ए) पेंशनर को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही और जिस आधार पर वह कार्यवाही प्रस्तावित है का नोटिस देकर वह शासकीय सेवक से अपेक्षा करेगा कि प्रस्ताव के विरुद्ध वह जो भी अभ्यावेदन देना चाहे, सूचना-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अथवा पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत और आगामी पन्द्रह दिन से अनधिक समय के भीतर प्रस्तुत करें; और

(बी) खण्ड (ए) के अन्तर्गत पेंशनर द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(4) जहां उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल है, तो आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जावेगा।

(5) राज्यपाल के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जावेगी और अपील पर राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राज्यपाल ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण - इस नियम में,—

(ए) “गम्भीर आरोप” (Serious crime) अभिव्यक्ति में कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का क्रमांक 19) (Official Secrets Act, 1923) के अधीन किये गये अपराध के अन्तर्गत आपराधिक कार्य सम्मिलित हैं;

(बी) “गम्भीर दुराचरण” (Grave misconduct) अभिव्यक्ति में, शासन के अधीन रहते हुए, जैसा कि कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित है, किसी गोपनीय कार्यालयीन संकेत शब्द लिपि की संसूचना अथवा प्रकटीकरण अथवा शब्द अथवा नक्शा, योजना (प्लान) मॉडल, वस्तु, टिप्पणी (नोट), दस्तावेज, सूचना, हस्तांतरित करना, जो कि सर्वसाधारण जनता के हितों अथवा देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, सम्मिलित है।

¹[टिप्पणी - इस नियम के उपबन्ध, नियम 47 तथा 48 के अधीन देय कुटुम्ब पेंशन के लिये भी लागू होंगे। मृत सरकारी सेवक/पेंशनर द्वारा धारित पद पर, यथा स्थिति उसकी मृत्यु या सेवा निवृत्ति के तत्काल पूर्व नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुटुम्ब पेंशन का कोई भाग रोकने या प्रत्याहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा।]

नियम 9. पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार (Right of Governor to withhold or withdraw Pension)—(1) पेंशनर द्वारा उसकी सेवा के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात्, पुनर्नियुक्त पर की गई सेवा भी शामिल है, विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में जिसमें यह पाया जाय कि पेंशनर गम्भीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी है, शासन को पहुंचाई गई धन सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने के लिये पेंशन वापस लेने और पूर्ण आदेश पारित करने के लिये राज्यपाल स्वयं के अधिकार सुरक्षित रखते हैं:

1. वि.वि.क्र. एफ. बी. 6-2-80/नि-2/चार, दिनांक 1-1-81 द्वारा संशोधित।

नियम 9

परन्तु
किया जाये

1[पर

धनराशि न

(2)

सेवानिवृत्ति

शासकीय

प्रारम्भ की

रहेगी और

पर

की गई है

(बी)

उसकी पु

(

(i

(ii

(

पहले

के बारे

हुआ

कार्य

नियम

पेंशन

कार्य

रोक

की

1.

2.

परन्तु यह कि अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा:

1[परन्तु आगे और भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है तो ऐसी निराश न्यूनतम पेंशन, जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी।]

(2) (ए) 2[.....] विभागीय कार्यवाहियां, यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हों तो इस नियम के अधीन शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेंगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई थीं उसी के द्वारा, और उसी प्रकार से, जैसा कि शासकीय सेवक सेवा में रहता, चालू रहेंगी और निर्णीत की जावेंगी:

परन्तु यह कि, जहां विभागीय कार्यवाहियां राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की गई हैं तो वह प्राधिकारी उसके निष्कर्षों को अंकित कर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(बी) विभागीय कार्यवाहियां, जब शासकीय सेवक सेवा में था, तब उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई तो-

- (i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएंगी;
- (ii) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होगी; तथा
- (iii) विभागीय कार्यवाहियां लागू प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जावेंगी जैसा शासन निदेशित करे-

(अ) जिसमें शासकीय सेवक को उसकी सेवा के दौरान, अपराध के संबंध में, सेवा से पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है, उस मामले में जब पेंशन अथवा उसके भाग को चाहे स्थाई रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना अथवा वापस लेना प्रस्तावित था; अथवा

(ब) जिसमें यदि उसकी पेंशन से शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग की वसूली का आदेश प्रस्तावित किया गया था जो शासकीय सेवक के द्वारा उसकी सेवा के संबंध में उसकी लापरवाही अथवा आदेश भंग के कारण हुई आर्थिक हानि के पूर्ण अथवा भाग को उसके वेतन से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है।

(3) शासकीय सेवक, जब सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के पहले उत्पन्न वाद-कारण के बारे में अथवा ऐसे संस्थापन के चार वर्ष से अधिक पहले घटित किसी घटना के बारे में न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जावेगी।

(4) उस मामले में जहां शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचने या अन्यथा के कारण सेवानिवृत्त हुआ है, तथा जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित हैं अथवा जहां विभागीय कार्यवाहियां उपनियम (2) के अधीन निरंतर हैं, अन्तिम पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त उपदान, जैसा [नियम 64] में उपबंधित है, मंजूर होगा:

1[परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के पूर्व ही शासकीय सेवक को उसकी पेंशन, अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है तो राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने की तिथि से, इस प्रकार स्वीकृत पेंशन का पचास प्रतिशत, इस शर्त के साथ रोक सकता है कि ऐसी रोक के बाद पेंशन न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी:]

1. वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक बी-25/9/96/PWC/IV, दिनांक 18-6-96 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 1-1-86 से लागू।

2. वि.वि. क्र. F. B. 25/31/95/PWC/IV, दि. 22-12-95 द्वारा "उपनियम (1) में उल्लिखित" शब्द विलोपित।

(2)

परिशिष्ट-1,
पृष्ठ 1 से 2 लगाय